:: कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म0प्र0) ::

क्रमांक / 1447 / री0ए0डी0एम0 / 2019 इन्दौर, दिनांक 02/08/2019

:: आ दे श ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

माननीय् राष्ट्रीय हरित अधिकरण, सेन्ट्रल जोनल बैंच, भोपाल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 18/5/2015 के क्रम में इन्दौर जिले में मूर्ति निर्माण एवं विसर्जन से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु, मैं **लोकेश कुमार जाटव, जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रियासंहिता–1973 की धारा–144 के अन्तर्गत आदेशित करता हूँ कि :–

1. मूर्तियों/प्रतिमाओं के निर्माण में केवल उन्हीं प्राकृतिक सामग्रियों का ही इस्तेमाल किया जावें जैसा कि पवित्र ग्रन्थों में उल्लेखित है । मूर्तियों के निर्माण में परंपरागत मिट्टी का ही उपयोग किया जावें, पकी हुई मिट्टी, पी0ओ0पी0 (प्लास्टर ऑफ पेरिस) या किसी प्रकार के केमिकल व रासायनिक वस्तुओं का उपयोग मूर्ति निर्माण में किया जाना प्रतिबंधित रहेंगा ।
2. मूर्तियों/प्रतिमाओं पर कलर हेतु केवल प्राकृतिक रंगों व गैर विषाक्त रंगों का इस्तेमाल किया जावेंगा । किसी भी प्रकार के रासायनिक व विषाक्त रंगों का इस्तेमाल पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगा ।
3. जिले में केवल परंपरागत् मिट्टी से निर्मित प्रतिमाओं का ही उत्पादन व विक्रय किया जा सकेंगा । परंपरागत् मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से बनाई जानी वाली प्रतिमाओं के उत्पादन तथा विक्रय, बाहर ले जाने या बाहर से लाने को प्रतिबंधित किया जाता है ।
4. परंपरागत् मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से मूर्ति/प्रतिमाओं के निर्माण को प्रतिबंधित किया जाता है । स्थानीय निकाय द्वारा इस संबंध में सत्यापन किया जावेंगा, यदि कहीं इस आदेश के जारी होने के दिनांक के बाद परंपरागत् मिट्टी छोड़कर अन्य पदार्थ जैसे पीओपी व अन्य रासायनिक पदार्थो से प्रतिमाओं के निर्माण का मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल स्थानीय निकाय द्वारा इन निर्मित प्रतिमाओं को अपने कब्जे में लेकर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम–2000 के प्रावधानों के अनुरूप करेंगा ।
5. पूजन सामग्री जैसे फल–फूल, नारियल, वस्त्र–आभूषण, सजावट के सामान जिनमें कागज व प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं शामिल है, को मूर्ति/प्रतिमाओं विसर्जन के पूर्व निकाल कर उन्हें अलग–अलग एकत्रित किया जावेंगा । तथा उक्त एकत्रित सामग्री का निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम–2000 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों द्वारा किया जावेंगा ।
6. मूर्ति/प्रतिमाओं विसर्जन के 24 घन्टे के भीतर विसर्जित मूर्ति/प्रतिमाओं से उत्पन्न ठोस अपशिष्ठों जैसे बांस, रस्सी, मिट्टी, पीओपी, प्रतिमा के हिस्से आदि को एकत्रित कर उनका निपटान नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियम–2000 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकायों द्वारा किया जावेंगा ।

District Magistrate
District-Indore (M.P.)

चूंकि यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को सम्बोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा ।

यह आदेश दिनांक 02/08/2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 03/08/2019 से दिनांक 30/09/2019 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(लोकेश कुमार जाटव)
कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रं0/1448/री0ए0डी0एम0/2019 इन्दौर, दिनांक 02/08/2019

<u>प्रतिलिपि</u> :—

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर.
2. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर.
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला इन्दौर ।
5. अति0 पुलिस अधीक्षक पूर्व क्षेत्र/ पश्चिम क्षेत्र/महू/यातायात, इन्दौर ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल, साँवेर, डॉ0 अम्बेडकर नगर(महू), देपालपुर, हातोद, सेन्ट्रल कोतवाली, कनाड़िया, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी, इन्दौर ।
8. एस0डी0ओ0(पुलिस), इन्दौर, डॉ0अम्बेडकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
9. उप पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज, आजाद नगर क्षेत्र, गांधी नगर, खजराना, इन्दौर ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, इन्दौर/महू/सांवेर/देपालपुर, जिला इन्दौर ।
12. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर परिषद, राऊ, हातोद, बेटमा, देपालपुर, गौतमपुरा, सांवेर, मानपुर, महूगांव, जिला इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
13. उप संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
15. थाना प्रभारी, थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
16. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।
17. स्टेनो टू कलेक्टर/स्टेनो टू अपर कलेक्टर, इन्दौर ।

(18)

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
Distt.-Indore (M.P.)